

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का पुनर्गठित किया जाना

*श्रीमती सुषमा स्वराज :†

डा० जितनेन्द्र कुमार जैन :

क्या वस्त्र मंत्री 2 सितम्बर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1004 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने सरकार से निगम को पुनर्गठित करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो सरकार को यह अनुरोध कब प्राप्त हुआ था ? ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निगम ने बताया है कि उसका पुनर्गठन करके उसे एक लाभ कर संगठन में बदला जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कोई निर्णय ले लिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का पुनर्निर्माण करने के प्रश्न पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही है। एन०टी०सी० ने इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मिलों को मिलाने तथा बन्द करने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य उन्हें अर्थक्षम बनाना तथा निगम को कुछ समय के भीतर बजट संबंधी सहायता को धीरे-धीरे समाप्त करना है।

† सभा में यह प्रश्न श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पूछा गया।

पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य निगम को कुछ समय के भीतर कार्यक्रम अर्थक्षम संगठन में परिवर्तित करने का है, जिसको लिये बुनकरों की कठिनाइयों को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जायेगा।

एन०टी०सी० का पुनर्निर्माण करने के प्रस्तावों पर वस्त्र क्षेत्र की त्रिपक्षीय समिति की 21-2-1992 को हुई बैठक में विचार विमर्श किया गया था। प्रभावित मिलों के धीरे मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को पहले से ही प्रस्तुत कर दिये गये हैं। वस्त्र क्षेत्र की त्रिपक्षीय समिति अपनी अगली बैठक में एन०टी०सी० के प्रस्तावों तथा उनके बारे में मजदूर संघों की प्रतिक्रिया पर विचार करेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मेरे सवाल के जवाब में जो वक्तव्य मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर रखा है, उसमें मेरे प्रश्न का भाग "ग" और "घ" अनुत्तरित रह गया है, न तो सरकार ने यह बताया है कि एन०टी०सी० के पुनर्निर्माण पर निर्णय अभी तक न लिये जाने का कारण क्या है और न कोई अन्तिम समय-सीमा तय करके मंत्री जी ने बताई है। यह बात मैंने इसलिये पूछी थी, क्योंकि यह अहम है। मंत्री जी ने कहा कि कुछ समय से एन०टी०सी० के पुनर्निर्माण पर विचार हो रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इसके पुनर्निर्माण की चर्चा वर्ष 1974 से शुरू हुई और 16-17 वर्षों के बाद प्रस्तावों का एक प्राकृतिक एन०टी०सी० ने सरकार के विचार हेतु रखा। जब 16-17 साल प्रस्तावों को रखने में लगे हैं, तो उनको स्वीकृत करने में कितने और वर्ष लगेंगे ? यह भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी और साथ ही यह जानना चाहूंगी कि जो प्रस्ताव आया है आपके पास, उस प्रस्ताव में मजदूरों की छंटनी करने का तो प्रस्ताव है, लेकिन क्या एन०टी०सी० के शिखर पर बैठे हुए अधिकारियों की संख्या में भी कोई कमी करने का प्रस्ताव है ? क्योंकि मंत्री महोदय को यह जानकारी होगी कि एन०टी०सी० का अफसरी-ब्रैडा अनावश्यक रूप से बड़ा है; नौ क्षेत्रों में

जी चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर है और नौ...

श्री सभापति : : आप प्रश्न कर लीजिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : : प्रश्न यह है, सभापति जी।

श्री सभापति : समय, समय सीमा है। सप्लीमेन्ट्री में समय सीमा रहती है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा इतना सप्लीमेन्ट्री है कि नौ क्षेत्रों की बजाय चार जोन बनाकर के अफसरी बेड़े को कम करके खर्चा कम करने के सुझाव पर मंत्री महोदय विचार करेंगे?

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन, साहब, यहां तक समय सीमा की बात माननीय सदस्या ने कही है, बूँक आपकी जानकारी भी है कि अभी जब यह एन०टी०सी० को रिस्ट्रक्चर करने का प्लान प्रस्तुत हुआ, उसके बाद में सरकार ने ट्रायपरटाइट कमेटी बना दी और उसके बाद 21 फरवरी को जब मीटिंग हुई उसमें उस कमेटी ने निर्णय किया कि एन० टी० सी० सारी इंफोरमेशन जो सिक मिलों के बारे में है वह ट्रेड-यूनियन्स के प्रतिनिधि को दे, जो तीन महीने के अन्दर-अंदर अपनी कमेण्ट्स देगी। उसके बाद में अगली बैठक में फैसला किया जाएगा कि रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के बारे में क्या किया जाए। इसलिए ट्रायपरटाइट कमेटी का जब फैसला होगा उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको पूरा करने के लिए।

यहां तक मजदूरों की छंटनी की बात की गई है माननीय सदस्या द्वारा, हम कोई छंटनी करने नहीं जा रहे हैं बल्कि जो हमने प्लान बनाया है, उसके अंतर्गत पहले भी डी०आर०एस० के अंतर्गत सबसे एन०टी०सी० बनी है तब से लगाकर अभी तक करीब 76 हजार मजदूर जो थे वह वाल्युटरी रिटायरमेंट के अंतर्गत... (व्यवधान)...

श्री प्रमोद महाजन : मजदूरों की छंटनी नहीं, अफसरों की पूछी है।

श्री अशोक गहलोत : या उसके साथ में करीब 17 मजदूर संगठनों में जाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अभी भी जो प्लान बना है, वह खाली... (व्यवधान)...

श्री सभापति : उनका प्रश्न तो सीधा है कि आप क्या जोन कम करेंगे? क्या विचार करने को तैयार हैं? बस।

श्री अशोक गहलोत : उनका प्रश्न यह है कि...

श्री सभापति : बस, यही है। पहले तो यह था, असली प्रश्न यह है कि आप नौ के चार करेंगे क्या?

श्री अशोक गहलोत : उनका प्रश्न यह है, माननीय सदस्या का,.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : हां, उसका आप बताइए कि नौ का चार करने क्या? हां या न या विचारधीन है।

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, सबसिडी को कम करने का कोई विचार नहीं है। मजदूरों की जो छंटनी की बात है, मैं यह माननीय सदस्या की जानकारी में कहना चाहूंगा... (व्यवधान)।

श्री राम अवधेश सिंह : मजदूरों का नहीं, अफसरों का बताइए है।

श्री सभापति : नौ जोन हैं आपके, वह यह कह रही है कि आप क्या नौ जोन को चार में करने पर विचार करेंगे?

श्री अशोक गहलोत : ऐसा कोई विचार नहीं करेंगे क्योंकि... (व्यवधान)।

श्री सभापति : यह जवाब आ गया है कि नहीं करेंगे।

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ अभी तक। जो उन्होंने मुख्य सवाल पूछा था कि मजदूरों की छंटनी की जा रही है क्या अफसरों की छंटनी होगी?

श्री प्रमोद महाजन : मजदूरों की नहीं, अफसरों की छंटनी का बताइए।

श्री अशोक गहलोत : आप मुन ही नहीं रह हो, पहले ही बोल रहे हो। मैं यह कह रहा हूँ कि दोनों की छंटनी साथ-साथ होगी, एक की छंटनी नहीं होगी, बल्कि छंटनी नहीं होगी, उनको खुद को, डी०आर०एस० के अन्तर्गत जो चाहेंगे एन०टी०सी० छोड़ना, उनको हम पूरा गोल्डन हैंडशेक देकर के भेजेंगे।

श्री सभापति : हैडशेक अफीसरों का भी, उसके साथ भी हैडशेक होगा।

श्रीमति सुषमा स्वराज : सभापति जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि एक तरफ तो एन०टी०सी० करोड़ों रुपए का घाटा प्रतिवर्ष दिखा रही है और दूसरी तरफ एन०टी०सी० के द्वारा ही करोड़ों रुपया अनुत्पादक मदों पर खर्च किया जा रहा है। पिछले महीने कोपू, कमेटी ऑन पब्लिक अडवर्टेकिंग ने अपनी रपट में बताया कि एक करोड़ पांच लाख रुपया एन०टी०सी० ने केवल एजेंटों को कमीशन दिए जाने पर पानदी लगाई है। तो सरकारी निदेशों की अवहेलना करते हुए एक करोड़ पांच लाख रुपए एजेंटों को किसने दिया? और दूसरी बात, जो मेरे ध्यान में आई, अभी एक महीन पहले एक विज्ञापन एन०टी०सी० ने छापा। इस विज्ञापन में एन०टी०सी० ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र के मुताबिक सस्ती दरों पर कपड़ा देने का काम एन०टी०सी० कर रही है और 39 रुपए 40 पैसे के भाव से जनता धोती हम बना रहे हैं। सभापति जी, मैं प्रमाणिकता से कह रही हूँ कि दिल्ली के हर एन०टी०सी० के शोरूम में जाकर मैंने यह जनता धोती मांगी, लेकिन धोती तो क्या एक सम्पल भी मुझे एन०टी०सी० का कोई शोरूम नहीं दिखा पाया, एक सैम्पल भी। करोड़ों रुपए उस विज्ञापन पर एन०टी०सी० ने खर्च किये लेकिन उसका नकारात्मक असर यह हुआ कि एक भी धोती मैं पूरी प्रमाणिकता के साथ कह रही हूँ कि एक भी धोती एन०टी०सी० के किसी शोरूम पर मुझे नहीं मिली। मंत्री जी, की उस पर क्या प्रतिक्रिया है? और एक निगम एक दल के घोषणापत्र को लिखकर के विज्ञापन छापे, इस पर मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन साहब, आपको मालूम है कि जो कांग्रेस का मेनिफेस्टो आया था, उसमें एक प्रामिस की गई थी कि जुलाई, 1990 के अंदर जो प्राइसिस थी, उनको रोल बैक किया जाएगा। उसके अंतर्गत हमने 7 करोड़

रुपया देकर एन०टी०सी० को यह कहा कि बाकी घाटा आप उठाए और क्योंकि कांग्रेस के मेनिफेस्टो में यह बात थी और सरकार भी कांग्रेस की बनी है, इसलिए प्राइस कम होना चाहिए और उसी के अंतर्गत धोती की प्राइस कम की गई। माननीय सदस्या जी कह रही हैं कि मुझे धोती नहीं मिली... (व्यवधान)

श्री राम अवधरा सिंह :*

श्री सभापति : आपबीच में क्यों बोलते हैं? जो बीच में इंटरप्शन होगा, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री अशोक गहलोत : मेरे ब्याल से किसी शोरूम में ऐसी कोई शिकायत हो नहीं सकती है। हो सकता है माननीय सदस्या जब गई हों...

श्री सभापति : वह सब जगह गई, कहीं नहीं मिली।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं हर जगह गई, हर शोरूम में गई।

श्री सभापति : कहां, दिल्ली में?

श्रीमति सुषमा स्वराज : हां, दिल्ली में मैं सदन के फर्श पर खड़ी होकर कह रही हूँ कि मैं हर शोरूम पर गई, एक भी धोती नहीं मिली।

श्री सभापति : आप इंतजाम कर कर दीजिए कि मिलेगी अब।

श्री एन० के० पी० साल्हे : एक दर्जन सैम्पल आप भिजवा दो मैं डम के पास, यह जगड़ा खत्म हो जाएगा।

श्री बोरेन जे० शाह : ग्राम लोगों के लिए धोती है या मैडम के लिए धोती है?

श्री सभापति : आप देखिए कि धोती लोगों को मिले, जनता कपड़ा मिले, इसका आप प्रयास करें।

*No retrded-

श्री अशोक गहलोत : सर, पूरा ध्यान रखेंगे और हो सकता है कि जब वह सस्ती हुई हो...

श्री सभापति : जब मैनबर आफ पार्लियामेंट कह रही है तो उसकी जांच कर लो।

शुभेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : सभापति महोदय, सिर्फ धोती क्यों बांटी जाती है जनता को, पैजामा भी बांटना चाहिए, प्राधे से ज्यादा जनसंख्या पैजामा भी पहनती है।

श्री सभापति : इसीलिए जनता कपड़ा कहा मैंने।

श्री विरेन जे० शहाह : सभापति महोदय, मंत्री जी ने कोई जवाब दिया नहीं है, पूरक प्रश्नों का जवाब देने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है? तो जवाब दीजिए न जो सवाल पूछा गया है।

श्री सभापति : उन्होंने जवाब दिया न कि...

श्री अशोक गहलोत : चैयरमैन साहब, जवाब सुनने के बजाए हमारे माननीय सदस्य बीच-बीच में बोलकर के जो बीच में बाधा कर रहे हैं, वह अच्छी बात नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि धोती जब सस्ती की गई तो हो सकता है कि वह स्टॉक में जल्दी खत्म हो गई हो, इसलिए उनको न मिली हो।

श्रीमति सुवमा स्वराज : सभापति जी, जिस दिन विज्ञापन आया, मैं उससे अगले दिन गई लेकिन एक भी धोती नहीं मिली। इसकी जांच करवाएं। मैं विज्ञापन आने के अगले दिन गई।

श्री सभापति : बे जांच करेंगे। आप जांच करेंगे इसकी क्या? जब माननीय सदस्य जिम्मेदारी से कह रही हैं, उस पर जांच करना है आपको, कर लीजिए।

श्री अशोक गहलोत : चैयरमैन साहब, मैं आपको दो बातें निवेदन करना चाहता हूँ...

श्री सभापति : देखिए, प्रश्न सीधा है। यहां कई दुकानों पर जनता धोती नहीं मिली। आपको यह देखना है, वह कह रही हैं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से हाउस के सामने कह रही हूँ, आप इसको देखिए कि क्या हुआ, इसमें गड़बड़ कहां हुई है; इसको देख लीजिए, इसकी जांच कर लीजिए। यह किस्सा खत्म हो गया।

श्री अशोक गहलोत : चैयरमैन साहब, उसकी जांच भी करवायेंगे और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि धोती गांवों में बिकती है और दिल्ली के शोरूम के बजाए एन०टी०सी० के माध्यम से...

श्री सभापति : आप सभी लोग बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता (व्यवधान) दिल्ली की आउटलेट में आप जनता धोती नहीं देते।

श्री अशोक गहलोत : सर, एन०टी०सी० के माध्यम से जो नेटवर्क बना है पूरे कंट्री के अन्दर, उसमें गांव में प्रायोरिटी है... (व्यवधान) दिल्ली के शोरूम के बारे में उसकी जांच करा लेंगे।

श्री सभापति : यह प्रायोरिटी, नान-प्रायोरिटी कहां से ले आये आप... (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : ... (व्यवधान) उसकी जांच करवा लेंगे।

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, what exactly is the position now?

MR. CHAIRMAN: That he will find out.

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, earlier he has said that perhaps the stock is going down because of the cheaper price of the janata dhoti and now he says that priority is given to the village outlets and not to the Delhi outlets. Which one is correct?

MR. CHAIRMAN: Both are correct... (Interruptions).

SHRI N.K.P. SALVE: There is no conflict between the two statements.

डा० जिनेंद्र कुमार जैन:

“कम नहीं है दोस्तो कि पिट रहे हैं हम,
नहीं है दोस्तो कि मिट रहे हैं हम,
सोस है कि आज भी गुलामों की तरह,
हाथ से उस हाथ में बिक रहे हैं हम।”

These were the words of a trade union or when he was shot dead... (Interruptions).

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Sir, he is referring to his own party or to something else?... (Interruptions)... I have a feeling that he is referring to the BJP... (Interruptions) ...

SHRI VIREN J. SHAH: He is referring to your two hands... (Interruptions)...

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, these are the words of a trade union leader who was dead by the Police when the working class people were agitating against the change of ownership of a factory... (Interruptions) ...

श्री सभापति : अब प्रश्न क्या है आपका ? प्रश्न पर आ जाइए।

डा० जिनेंद्र कुमार जैन : प्रश्न यह है सर,

Sir, the sick textile mills were in private hands earlier and now they continue to be sick in the Government hands. We keep on asking questions and the Government keeps on answering that the matter is wider examination.

Sir, the purpose of our asking this question was to focus the attention of the Government and of this House on the suffering of the working class. There should be some innovation in trying to look for a solution of the problem of the sick units, sick technology and the sick working people. Earlier also, on the floor of this House, a suggestion was made that if the land of these mills was sold at the market rates, enough capital could be generated to take care of the working people and to upgrade the technology. What is the Government doing about it? This is my question.

श्री जलोक गहलोत : सर, वह तो मजदूर यूनियन खुद ही विरोध करती है कि वह जमीन न बेची जाये और हमने भी तय किया है कि जब तक रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान का जो पूरा पैकेज है, वह तय न हो तब तक कोई जमीन नहीं बेची जायेगी।

श्रीमति बन्धिका अभिनन्दन जैन : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह ऐलान किया हुआ है कि एन०टी०सी० का रिस्ट्रक्चरिंग करना है और इस रिस्ट्रक्चरिंग के अन्तर्गत उन्होंने यह भी बात बतायी है कि गत 14 सिक यूनिट हैं, नॉन-बायबिल यूनिट हैं उनको क्लोज डाउन करना है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि यह कौन सी मिलें हैं जो आप क्लोज डाउन करना चाहेंगे ? वह लिस्ट में आपसे जानना चाहूंगी। यह बात भी आपने जाहिर की हुई है कि कम से कम 10 हजार से 15 हजार वर्क्स हैं वह रास्ते पर आ जायेंगे अगर आप यह 14 सिक यूनिट बंद करते हैं, आखिरकार जो वर्क्स हैं जिन्होंने पिछले 20-25 साल से अपना खून-पसीना करके इन कम्पनीज को बनाया हुआ है और कम्पनी उनके ही बलबूते पर आगे बढ़ती है। तब उनके लिए आपने कौन सी योजना बनायी है, इसके बारे में आप हमें बताइये ?

दूसरे, आपने बताया है कि 49 कम्पनीज आप अमलगेमेट करेगे और कलकत्ता की जो कम्पनीज हैं उनको आप अमलगेमेट करके 12 कम्पनी बनायेंगे। तो यह अमलगेमेशन की स्कीम किस प्रकार की आपने फॉर्मूलेट की है ? एन०टी०सी० के अन्तर्गत बहुत सारी नाम-बायबिल कम्पनी हैं और बम्बई में बहुत सारी ऐसी कम्पनी हैं जो पिछले कई सालों से बंद पड़ी हुई हैं। आपने यह कहा है कि उनके पास जो सर्प्लस लैंड है, उसको हम बेचने की इजाजत देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा कड़ा विरोध है। जहां तक बम्बई की टैक्सटाईल्स मिल्स का सवाल है, सर्प्लस लैंड का सवाल है, बम्बई में वैसे ही सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलती है और अगर आप वहां सरप्लस लैंड

बेचने की बात करते हैं तो वहाँ पहले से ही कंजेशन और ट्रैफिक की समस्या है। अगर बम्बई में ऐसा काम उठायेगे तो वहाँ हालात बहुत कठिन बन जायेंगे। नेशनल टैक्सटाईल्स पोलिसी के लिये हमने यहाँ पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर प्रश्न उठाये हैं। मैं चाहती हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ हैं काफी कंफ्यूजन पैदा करती हैं। तो आपकी एक नेशनल टैक्सटाईल्स पोलिसी की ब्लू प्रिंट या तो व्हाइट पेपर आप यहाँ इश्यू करेंगे कि यह नहीं, यह मेरा आखरी सवाल है।

श्री अशोक गहलोत : सभापति महोदय 5-6 क्वेश्चन हो गए हमारी माननीय सदस्या के। चौदह मिलों की लिस्ट मेरे पास है, मैं माननीय सदस्या को भिजवा दूंगा, जो उन्होंने कहा है कि कौन सी प्रपोज की हैं एन०टी०सी० ने क्लोज करने के बारे में। जहाँ तक जो मजदूर बी० आर०एस० में जायेंगे उनके भविष्य के बारे में चिंता प्रकट की गई है। मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी मजदूरों का रिस्ट्रिक्चरिंग प्लान के अंतर्गत जो बी०आर०एस० में जाना चाहेंगे उनके लिए हमने ट्रेनिंग के प्रोग्राम और रिइम्प्लायमेंट के प्रोग्राम साथ में रखे हैं। उसके बाद जो पैकेज बनेगा, उसके अंतर्गत उनका फैसला करेंगे।

इसके अलावा सरप्लस लैंड के बारे में जो बात की गई है, मैं पहले कह चुका हूँ कि अभी हमारा प्लान जो था वह सरप्लस लैंड को बेचने का नहीं है जब तक कि रिस्ट्रिक्चरिंग का प्लान पूरा नहीं हो जाता।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि कपड़ा मिलों के बारे में राष्ट्रीय विपक्षीय कमेटी को एन०टी०सी० के प्रबंधकों और मजदूरों ने यह कहा था कि जब भी किसी ईकाई को बी०आई०एफ०आर० को सुपुर्द करने की बात की जाती है तो

उस बात के साथ-साथ ही उस सम्बद्ध ईकाई को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी जाती है अर्थात् प्राथम्य महोदय, भरने से पहले ही जनावे तैयारी कर दी जाती है और इसी वि०आई०एफ०आर०को बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रि प्पुनरल राईट्स कहा जाता है। तो अभी महोदय से यह जानना चाहती कि क्या यहाँ बैठकर इस बात की गा- देंगे कि जब किसी ईकाई को बी०आई०एफ०आर० को सुपुर्द करने की बात की जाती है तो इससे पहले कि बी०आई०एफ०आर० उनके बारे में कोई निर्णय ले, उस समय तक ईकाई को दी जानेवाले वित्तीय सहायता को बंद नहीं किया जाएगा।

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, बी०आई०एफ०आर० में तो जो कानन बना हुआ है उसके अंतर्गत जाना पड़ता है और वह मिलें जाती हैं जो विल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि उसके लिए नया पैकेज बने, इसका अभी फाइनेंस आया जिससे कि वह वापस रिवाइव हो सके, इसलिए इसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सर, मेरा प्रश्न ही यह था कि नया पैकेज बनने से पहले क्योंकि वह बी०आई०एफ०आर० को सुपुर्द हैं, बी०आई०एफ०आर० निर्णय लेगा इससे पहले ही आप दूसरा निर्णय सुना देते हैं और उसकी भीत की घंटी आप बजा देते हैं। तो उसका मायना ही क्या हुआ?

श्री अशोक गहलोत : टैक्सटाईल मिनिस्ट्री कोई उनको फाइनेंस नहीं करती है बल्कि बी०आई०एफ०आर० में जाने के अलग कानून बने हुए हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको मदद देते हैं।

श्री सभापति : उन कानूनों के अंदर होता है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इसलिए मैंने कहा कि उन संस्थाओं को आप निर्देश देंगे क्या?

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, जिन 14 एन०टी०सी० की मिलों को बंद करने के विषय में माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है दुर्भाग्य से उनमें से 3 मिलें इंदौर की हैं और इंदौर की तीनों एन.टी.सी. मिलों को बंद करने का फैसला एन०टी०सी० करने जा रही है। इससे बहुत बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार होंगे। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि जिन 14 मिलों का आपने यहां उल्लेख किया है उनमें से तीन मिलें इंदौर की हैं और इंदौर में केवल 3 ही एन०टी०सी० की मिलें हैं और यदि आप इनको बंद करने जा रहे हैं तो जो हजारों की संख्या में, लगभग 12,000 मजदूर इन तीन मिलों में काम करते हैं, उनको रोजगार देने के लिए आप क्या फैसला करने जा रहे हैं।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या विकल्प के रूप में एन०टी०सी० की सभी कंपोजिट मिलों में जिनमें स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, वीविंग में ही सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है, तो क्या आप यह व्यवस्था नहीं करेंगे कि स्पिनिंग चलने लगे, प्रोसेसिंग चलती रहे, वीविंग बंद हो जाए और उससे इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को बेरोजगार न करना पड़े।

श्री अशोक गहलोत : सभापति महोदय पहली बात तो यह है कि जो प्रस्ताव एन०टी०सी० का है, मैंने पहले भी कहा है कि वह प्रस्ताव अभी हमारे विचाराधीन है और ट्राइपार्टी कमेटी में दिया हुआ है। उसमें मजदूर यूनियनों के माध्यम से मजदूरों को विश्वास में लेकर कोई निर्णय करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हम कोई मिलें बंद करने जा रहे हैं।

दूसरा प्वाइंट जो माननीय सदस्य ने कहा है, एन०टी०सी० की तीन मिलें बंद करने वाली बात कही है, जो प्रस्ताव है उसमें भी जो ज्यादा हैवी

लॉसेज दे रही है उसमें एन०टी०सी० की हीरा मिल, उज्जैन का नाम है।

श्री सभापति : ये इंदौर की 3 कह रहे हैं। इन्होंने इंदौर की तीन कहा है।

श्री अशोक गहलोत : मैं मध्य प्रदेश की बात पूरी मिलों की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपने बड़ा दिक्कत है। उनका दायरा बहुत छोटा है। उन्होंने तीन इंदौर की मिलों की बात कही है और यह पूछा है कि क्या आप उनको बंद करने के स्थान पर स्पिनिंग को रखेंगे, वीविंग को बंद कर देंगे। यही इनका कहना है। अब हां या ना तय आपको करना है।

श्री अशोक गहलोत : चेंबरमैन सर, जो प्लान हम लोगों ने बनाया है रिस्ट्रक्चरिंग का, उसके अंतर्गत जो माननीय सदस्य के सुझाव हैं वह भी इसमें इनको-पेरिट हैं क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं बार-बार कि अमलगमेट करने के मायने यह है कि मिलें बंद नहीं होंगी बल्कि उनकी वीविंग एक्टिविटी कम हो सकती है, स्पिनिंग बढ़ सकती है। लेबर्स अगर बाहर जाएंगे तो उनको रिइम्प्लाय करने के लिए काम हो सकता है। यह सारा इस पैकेज के अंदर है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the NTC has been in red for a pretty long time for over decades, and the Government has not been taking any steps to revitalise it. As a result, Sir, production of Janata cloth for the common people had suffered. While restructuring the NTC or seeking the programme for its revival, will the Government take into consideration the question of supply of Janata cloth, that is, low price textiles to the common people, to the 60 per cent of the population be cause. Sir, there has been an attempt to close down the NTC mills, to hand-over the textile mills to the Reliance, the Century, the Bombay Dyeing and others. There has been an attempt. And that attempt has been

resisted by the Parliament and, therefore, that has to be dropped. Therefore, Sir, part (a) of my question is that while thinking of restructuring the NTC, will the Government take into consideration the question of production of low value textiles to the common people? Sir, part (b) of my question is that while the Government has envisaged Rs. 9 crores for the production of Janata cloth according to the Congress manifesto—I do not grudge because the Congress name is there—I would like to know that despite your investment, what has been the production, and what are the places where these goods are being sold out because, from my experience, Sir, as Mrs. Sushma Swaraj has said, I would also say that the outlets in the rural areas do not exist, only sign-boards exist. Therefore, part (b) of my question is: What has been the production and what are the places where these have been, sent? Sir, part (c) of my question...

MR. CHAIRMAN: How many parts?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am very short, Sir. In West Bengal, there has been a tripartite agreement between the Government of West Bengal, the NTC and the trade unions for the revival. Will the restructuring plan that the Government envisages have any influence on the tripartite agreement that has been agreed upon by all the parties in West Bengal?

श्री अशोक गहलौत : माननीय चेयर-मैन सर, इनके सवाल तो तीन-चार हैं और वे मुख्य सवाल से संबंध नहीं रखते हैं। उसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के बाद भी हम देखेंगे कि कंट्रोल्ड क्लॉथ जो है, वह एन०टी०सी० बना सके जिससे गरीबों के वह काम आ सके। यह हमारी हमेशा पालिसी बनी रहेगी। जहां तक प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वह अभी मेरे पास फिगर नहीं है, मैं माननीय सदस्य को अलग से भिजवा दूंगा। तीसरा पार्ट इन्होंने कहा है अमलगमेशन के बारे में, वस्तु बंगाल में तो नया एक्सपेरिमेंट भी किया है वहां की सरकार ने आगे आकर एन०टी०सी० के साथ में, एक एग्जीमेंट भी हुआ है। मैं समझता हूँ

कि वह ज्यादा फुलफिल होगा और वह आगे बढ़ सकेगा। उसी की लाइन पर हम चाहते हैं कि वर्कर्स कोऑपरेटिव में भी दूसरी जगह काम हो सके।

MR. CHAIRMAN: Question No. 2.

Confiscation of properties of persons involved in terrorist activities

*2. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1580 given in the Rajya Sabha on 9th March, 1992 and state:

(a) whether the agreement between the Governments of India and the U.K. to have an extradition treaty and also for confiscation of properties of people involved in terrorists activities has since been signed; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) Details can be given only after they have been concluded. However, briefly, it may be said that an Extradition Treaty and an Agreement concerning the investigation and prosecution of crime and the tracing, restraint and confiscation of the proceeds and instruments of crime (including crimes involving currency transfers) and terrorist funds were initialled between India and UK on 27 February, 92.

The Extradition Treaty provides for extradition of fugitive-offenders whose crimes are punishable with a minimum of one year imprisonment. The other Agreement provides for tracing, restraint and confiscation of funds of drug traffickers and terrorists and also for mutual-assistance in investigations and prosecutions in the case of crimes.

The Agreements are to be signed at the ministerial level shortly.